न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 17/2019 दिनांक–01.10.2019

श्री हीरालाल पुत्र धूड़ाराम जाति चेजारा निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– आवेदक

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील वादी : – श्री तरूण मिन्तर
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम 1956
बाबत दुरुस्त करने लिपिकिय त्रुटी

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 03.01.2020

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वदी की पैत्रिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 804, 810, 813, 814, 816 रकबा क्रमशः 1.23, 0.29, 0.25, 0.97, 1.17 कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 हेक्टर है। ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बसावा तहसील नवलगए जिला झुन्झुनू में अवस्थित है। उक्त खातेदारी भूमि के खाता संख्या 219 नया एवं 170 पुराना है, अवस्थित है। वर्ष सम्वत् 2033–2036 में वादी के पूर्वज स्व. नारायण के नाम उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी , जो रिश्ते में वादी के दादा थे। करीब 50 वर्ष पहले स्व0 श्री नारायण के फौत होन पर उक्त स्व0 नारायण के पुत्र सीताराम एवं एक मृत पुत्र स्व0 धूड़ाराम के पुत्र वादी का नामा नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ जो लगातार जारी है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में हीरालाल के रूप में जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा है, जो आगे भी सही रूप से कुछ वर्षो तक सम्वत् 2051 से 2054 तक चलता रहा। वर्ष सम्वत् 2057–2058 की जमाबंदी मेंवादी का नाम लिपिकिय त्रुटीवश हीरालाल के स्थान पर पीरालाल लिखा गया एवं उक्तानुसार ही आगे की जमांबदियों में भी गलत रूप से हीरालाल के स्थान पर पीरालाल ही चलता रहा। गत दिनांक राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर वादी को ज्ञान हुआ कि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम हीरालाल के स्थान पर पीरालाल दर्शित हो रहा है, जो किसी लिपिकिय त्रुटीवश हुआ है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हीरालाल के स्थान पर पीरालाल दर्शित हो रहा है, जो गलत है एवं किसी प्रकार की लिपिकिय त्रुटीवश है, जो संशोधित किया जाकर वादी का नाम पीरालाल के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

हीरालाल दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस कारण वाद प्रस्तुत करना लालमी आया है। वाद पत्र में प्रतिवादी नम्बर 1 के रूप में सकरारी विभाग है,जिनके विरूद्ध किसी प्रकार को कोई दावा दायरी से पूर्व 2 महा का विधिक नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है, किन्तु वर्तमान प्रकरण में 2 माह का नोटिस देने की सूरत में गलत नाम का फायदा उठाकर विक्रय की आशंका है इस कारण आवेदन अन्तर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. अलग से संलग्न प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से अनुमति की याचना की गई है।

वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि वाद वादी डिकी किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 तहसीलदार महोदय नवलगढ को निर्देशित किया जावे कि अपने राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जो लिपिकिय त्रुटीवश हीरालाल के बजाय पीरालाल लिखा हुआ है, को संशोधित कर हीरालाल करने की कृपा करे एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के पक्ष में हो, भी सादर फरमाई जावे।

प्रार्थी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार उपस्थित। प्रतिवादी राज पैरोकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया कि ग्राम रामपुरा के खसरा नम्बर 804/1.26, 810/0.29, 813/0.25, 814/0.97, 816/1.17 कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 हैक्टर की खातेदारी अर्जुनराम, परमेश्वरलाल, सुरेश कुमार पिता सीताराम, शांती देवी पत्नी सीताराम हिस्सा 1/2 पूर्णमल, पीरालाल, बिहारी, रामनिवास पिता धूडाराम हिस्सा 1/2 जाति चेजारा के नाम जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 दर्ज रिकार्ड है। जबकि पीरालाल पुत्र धूडाराम हिस्सा 1/8 जाति चेजाराम का जमाबंदी सम्वत् 2047 से 2050 में जमाबंदी समवत् 2051 से 2054 में हीरालाल पिता धूडाराम हिस्सा 1/8 जाति चेजारा दर्ज रिकार्ड है, जो जमाबंदी 2033 से 2036 में हीरलाल के दादा नारायण पुत्र माधु उर्फ महादेवा के फौत होन पर विरासतनामा के नामान्तरकरण द्वारा दर्ज हुआ था। जबकि जमाबंदी 2055 से 2058 में बिना नामान्तरकरण व शुद्धि में लिपिकीय त्रुटीवंश पीरालाल पिता धूडाराम जाति चेजारा गलत दर्ज हो गया। वादी हीरालाल पिता धूडाराम दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2036, 2047 से 2050, 2051 से 2054 व दस्तावेजों के आधार पर वादी का नाम पीरामल पिता धूडाराम हिस्सा 1/8 जाति चेजारा के स्था पर हीरालाल पिता धूडाराम हिस्सा 1/8 जाति चेजारा शुद्ध किया जाना उचित रहेगा। राज. पैरोकार द्वारा नाम दुरूस्त करने की अनापति जाहिर की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तीाि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थीगण दस्तावेजात पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, अधार कार्ड, में हीरालाल पुत्र धूडाराम दर्ज है अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम रामपुरा के खसरा नम्बर 804/1.26, 810/0.29, 813/0.25, 814/0.97, 816/1.17 कुल किता 5 कुल रकबा 3.91 हैक्टर में प्रार्थी का पीरालाल पुत्र धूडाराम के स्थान पर नाम हीरालाल पुत्र धूडाराम जाति चेजारा निवासी रामपुरा दुरूस्त किये

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.14 13:46:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: